न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 274 (240) / 2019

प्रार्थी :–

खेतसिह पुत्र श्री अणदसिह जाति राजपूत निवासी ग्रम भादा तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला जोधपुर

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी

अप्रार्थी :– सरकारी पेरोकार उपस्थित

–::निर्णय ::–

दिनांक :– 13/8/19

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि यह है कि तहसील बापिणी के राजस्व ग्रम श्री भादा के खेत खसरा सख्या 390/1 रकबा 32 बीघा 10 बिश्वा बिश्वा भूमि प्रार्थी के पिता श्री खेतसिह पुत्र श्री अणदसिह के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आयी हुई थी उक्त खसरा की भूमि की चालू जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है । यह है कि उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी के पिता स्व श्री खेतसिह के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये जबकि प्रार्थी का नाम अन्य परिचय पत्र व राशन कार्ड आदि में खेतसिह पुत्र श्री अणदसिह नाम अंकित है जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय प्रार्थी का नाम सहवन से तेजसिह दर्ज कर दिया गया । जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम खेतसिह है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में सहवन से तेजसि़ह दर्ज होने से प्रार्थी

सहायक कलक्टर, ओसियां

अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग नही कर पाता हैं प्रार्थी को सरकारी सुविधा का फायदा लेने के लिए भी विभिन्न कार्यालयो के चक्कर लगाने पडते है। इसलिए प्रार्थी का नाम उक्त खसरान की भूमि में तेजसिह के स्थान पर तेजसिह किया जाता है तो अन्य सहखातेदारो के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा तथा प्रार्थी अपने नाम शुद्व करवाने प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारो का लाभ ले सकेगा व भूमि का विकास कार्य भी करवा सकेगा। प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय वास्तविक दस्तावेजो की जॉच किये बगैरह ही नाम दर्ज किया गया हैं जबकि प्रार्थी का वर्षो से बने हुए दस्तावेजों में भी नाम खेतसिह है तेजसिह व खेतसिह एक ही व्यक्ति है। इसलिए उक्त खसरा की भूमि में प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना न्यायोचित है। अन्त में ईस्तदुआ चाही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम भादा के खसरा सख्या 390/1 रकबा 32 बीघा 10 बिश्वा भूमि में प्रार्थी का नाम तेजसिह के स्थान पर खेतसिह दर्ज जावे

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया

पत्रावली में बहस सुनी गयी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह जाहिर है कि राजस्व रेकर्ड में भूलवश प्रार्थी का खेतसिह के स्थान पर तेजसिह दर्ज कर दिया गया जो काबिल ए दुरुस्त के है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम भादा के खसरा सख्या 390/1 रकबा 32 बीघा 10 बिश्वा भूमि में प्रार्थी का नाम तेजसिह के स्थान पर खेतसिह दर्ज अंकित किया जाने का आदेश पारित किया जाता है । आदेश की पालना हेतु तहसील बापिणी को तहरीर जारी हो।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 13/01/14 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

Scanned by CamScanner